(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) केम्प कोर्ट बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्रकरण संख्या : 24/2018
दायरा तिथि : 06.062018
आदेश तिथि : 21.06.2018

अपीलान्ट :–
मांगी पुत्री हरजीराम पत्नि लालाराम
जाति सिरवी, निवासी बमणिया
तहसील बाली हाल निवासी बाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस:–

1. जीवी पत्नि जोधाराम
2. हेमन्त पुत्र जोधाराम
3. दुर्गा उर्फ मंजु पुत्री जोधाराम
4. पिंकी पुत्री जोधाराम
   जातिगण सिरवी, निवासीगण बमणिया
   तहसील बाली, जिला पाली राज.
5. तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : **आदेश** : : दिनांक : **21.06.2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्व तहसीलदार बाली के म्यूटेशन संख्या 79 दिनांक 14.05.1993 से व्यथित होकर पेश की है। अपीलान्ट ने इसका आधार यह बताया कि सरहद मौजा बमणिया मे कृषि आराजी जिनके खसरा नंबर 72मी., 74मी., व 73 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 212, 219, 220, 223, 224, 228 कुल रकबा 5.97 हैक्टर जिसके पूर्व खातेदार चुना, हरजी पिसरान लुम्बा 2/3, लच्छा, नेना पि. रता, गणिया पुत्र दुदा, दला बेवा दुदा 1/3 बहिस्सा बराबर–बराबर थे। उक्त आराजी का बंटवाडा होने पर नये खसरा नंबर 212/1, 219, 220, 223/2, 224/2, 228 कुल रकबा 1.91 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। हरजी की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा विरासत नामान्तरकरण मे हरजी के एक पुत्री मांगी के जीवित होते हुए भी रेकर्ड मे जोधा वल्द हरजी, अणसी बेवा हरजी के नाम नामान्तरकरण भरा गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक जीवी जोधा की पत्नि व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 से 5 जोधा के पुत्र व पुत्रियां है जोधा की मृत्यु हो चुकी है इसलिए जोधा के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। स्व. हरजी के दो उत्तराधिकारी जीवित होते हुए भी उसके हरजी के सगे भाई रता के पुत्र जोधा को स्व. हरजी का पुत्र बताते हुये जोधा व स्व. हरजी की पत्नि अणची के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हो गया। इस कारण स्वर्गीय हरजी पुत्र लुम्बाजी के दो जीवित उत्तराधिकारी होते हुए भी नामान्तरकरण केवल जोधा को पुत्र बताते हुये जोधा व अणची के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया। हरजी पुत्र लुम्बाजी की मृत्यु के समय उनके दो उत्तराधिकारी पुत्री मांगी व पत्नि अणसीदेवी जीवित थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल जोधा को पुत्र बताते हुए जोधा व हरजी की पत्नि अणसी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जबकि हरजी के फौतेदगी म्यूटेशन मे उनकी एक पुत्री मांगी का नाम उत्तराधिकारी मे दर्ज नही किया गया। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के

पेज लगातार—2

(महावीर सिंह)
अति. जिला कलेक्टर
(सिलिंग) पाली केम्प बाली

राजस्व अपील संख्या 24/2018 अनवान मांगी बनाम जीवी वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956

अनुसार एक हिन्दू मृतक की सम्पति उनके प्रथम श्रेणी वारिसानो को मिलेगी तथा उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा (10) के नियम 2 के अनुसार स्वर्गीय हरजी पुत्र लुम्बा के उत्तराधिकारी क्रमशः अणचीदेवी व पुत्री मांगी जीवित होते हुए भी स्वं हरजी के उत्तराधिकारी के रूप मे दर्ज किया जाना था। अपीलाधीन म्यूटेशन मे हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के कानून के विपरित है। गत खसरा नंबर नंबर 72मी., 74मी., व 73 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 212, 219, 220, 223, 224, 228 कुल रकबा 5.97 हैक्टर बनाये गये है। अपीलाण्ट अनपढ होने व शादी के बाद अधिकांश समय अपने ससुराल ग्राम बाली मे रहने के कारण उन्हे उक्त अवैध म्यूटेशन् के जानकारी पूर्व मे नही हो सकी। अपीलाण्ट स्वर्गीय हरजी पुत्र लुम्बाजी के जायन्दा पुत्री होने के कारण व आराजी पर संयुक्त कब्जा होने के कारण उसे उक्त अवैध म्यूटेशन का पता नही चल सका। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कहने की इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नही है तक अपीलान्ट ने पता लगाकर नकलो हेतु दिनांक 05.02.2018 को तहसील कार्यालय बाली मे अपने अधिवक्ता के मार्फत आवेदन किया जिसके फलस्वरूप दिनांक 08.02.2018 को नकले प्राप्त हुई, जिससे म्यूटेशन से संबंधित कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को हुई। ग्राम बमणिया के म्यूटेशन संख्या 79 दिनांक 14.05.1995 को निरस्त की स्व. हरजी पुत्र लुबाजी के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत अपील राजस्व विविध मे पंजीबद्व की गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली से रेकर्ड तलब किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। उपस्थित पक्षकारो को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व सुनने बहस के पश्चात प्रकरण मे जाहिर है कि अपीलाण्ट मांगी हरजीराम की पुत्री है व तहसीलदार बाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 14.05.1993 मे अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 14.05.1993 ग्राम बमणिया को निरस्त किया जाता है। एवं अपील अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार कर तहसीलदार बाली को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की पुन सुनवाई कर मृतक हरजीराम की पुत्री मांगी देवी का नाम उनके वारिसान के साथ नियमानुसार दर्ज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महावीर सिंह)
अति. जिला कलेक्टर
(सिलिंग) पाली कैम्प बाली

(महावीरसिंह)
आर.ए.एस.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिलिंग) पाली ★ कैम्प बाली ★

आदेश आज दिनांक **21.06.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर(सिलिंग) पाली
कैम्प कोर्ट, बाली

(महावीर सिंह)
अति. जिला कलेक्टर
(सिलिंग) पाली कैम्प बाली

Scanned with OKEN Scanner